सं.11016/04/2016-हिन्दी/1569-1680

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

*****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 29.11.2016

सेवा में,

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार

समिति के सभी सदस्य।

विषय: मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.10.2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 19.10.2016 को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की संपन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त के संबंध में यदि आपकी कोई टिप्पणी/विचार हो तो तदनुसार मंत्रालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

29.11.16

(एम.सी.भारद्वाज)

उप निदेशक (रा.भा.)

संलग्नक: कार्यवृत्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क/सैल।
2. मंत्रालय के सभी संगठन।
3. जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के निजी सचिव/ज.सं., न.वि. और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री के निजी सचिव।
4. सचिव (जल संसाधन) के निजी सचिव/ओएसडी के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (प्रशा.) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (पीपी) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी के निजी सचिव।
5. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, कमरा संख्या 109, "ए" खंड, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सम्पादक, भगीरथ पत्रिका, केन्द्रीय जल आयोग, 511 (एस) सेवा भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि कार्यवृत्त और फोटो, पत्रिका के अगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को कार्यवृत्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.10.2016 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19.10.2016 को अपराह्न 03:00 बजे समिति कक्ष, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों सूची **अनुलग्नक** में दी गई है।

2. बैठक के प्रारंभ में आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी ने माननीय अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय राज्य मंत्री महोदय ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह बैठक 6 महीने में होती है लेकिन पिछली बैठक में मंत्री महोदया ने इसे हर तीन महीने में कराने के लिए कहा था। तदनुसार यह बैठक ठीक तीन महीने में हो रही है। आप लोग हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए जो सुझाव देंगे हम उन पर अवश्य गौर करेंगे।

सचिव महोदय ने भी सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग और इसके प्रचार-प्रसार के लिए सलाह देना है। मंत्रालय हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रगामी प्रयोग के लिए निरंतर प्रयासरत है।

आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी ने कहा कि हिन्दी में कार्य करने में कठिनाई हो सकती है लेकिन हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। पिछली बैठक के तीन महीने बाद आज मंत्रालय में हिन्दी में कार्य की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि राजभाषा के लक्ष्यों को पूरा करना है तो हिन्दी अनुभाग से अनुवाद का कार्य बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए जैसा मंत्री महोदया का आदेश है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या हिन्दी के प्रयोग पर बल के लिए कोई सख्त रवैय्या अपनाया जा सकता है।

इस पर माननीय सदस्य श्री भगवान दास पटैरया ने कहा कि प्रेरणा और प्रोत्साहन से हिन्दी को बढ़ावा देना है जिससे दंडित करने का मौका ही न आए। फिर आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने उपनिदेशक (रा.भा.) से बैठक की कार्यसूची की मदों को पढ़ने के लिए कहा। उपनिदेशक (रा.भा.) ने दिनांक 19.07.2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख

करते हुए कहा कि इस पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। तदनुसार कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके बाद उन्होंने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों तथा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई, मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी टिप्पणी पढ़ी। तत्पश्चात् सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए गए।

सदस्यों के सुझाव:

सर्वप्रथम श्री नबा कुमार सरनीया जी ने समिति को संबोधित करते हुए कहा कि वह बैठक में पहली बार शामिल हो रहें है और वे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए अभी तक कही गई सभी बातों से सहमत हैं लेकिन उनका सुझाव था कि हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी को भी चलते रहना देना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को भाषागत समस्या का सामना न करना पड़े। उनके क्षेत्र में स्थानीय लोगों को हिन्दी में परेशानी होती है।

श्री भगवानदास पटरैया जी ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि "ग" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों से पत्राचार करते समय उन्हें अंग्रेजी में पत्र भेजा जाना चाहिए और उसे हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि समिति के सदस्यों को बैठक में आने-जाने के लिए टैक्सी की व्यवस्था करवा दी जाए तो सदस्यों को बैठक में आने में ज्यादा सुगमता रहेगी। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसद सदस्यों (जो समिति के सदस्य हैं) को ज्यादातर अपने निर्वाचन क्षेत्र जाना पड़ता है और संसदीय सत्र में ही दिल्ली में रहते हैं तो यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं हो पाएगी।

श्री पटरैया जी ने आगे मंत्रालय व उसके संगठनों में हालांकि धारा 3 (3) के अनुपालन की सराहनीय की लेकिन मंत्रालय के एक संगठन नामत: सीएसएमआरएस की रिपोर्ट में उक्त धारा के तहत जारी किए गए पत्रों की संख्या पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने सीएसएमआरएस और एनडब्ल्यूडीए के विषय में कहा कि उनका पत्राचार का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है जो सराहनीय है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में कहा था कि कर्मचारियों/अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट में हिन्दी के सराहनीय कार्यों को इंगित किया जाए और यदि लक्ष्य 100% पूरा हो जाए तो उन्हें उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि माननीय मंत्री जी को जो भी फाइलें प्रस्तुत की जाएं वे सभी हिन्दी में प्रस्तुत की जाएं। पंजीकरण हिन्दी में होना चाहिए, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ज्यों का त्यों देवनागरी में लिखा जा सकता है। उन्होंने बेतवा नदी बोर्ड द्वारा फाइलों

पर अधिकाधिक टिप्पणी की भी सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि आमतौर पर हिन्दी कार्यशालाओं में प्रतिभागियों की संख्या बहुत कम रहती है, इसलिए कर्मचारियों/अधिकारियों का एक रोस्टर इस तरह तैयार किया जाए की वर्ष में एक बार सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को कार्यशाला में भाग लेने का अवसर मिले। उन्होंने पुस्तक लेखन योजना को प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया।

(मंत्रालय और सभी संगठन)

श्रीमती शांताबाई जी ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वे अंग्रेजी की विरोधी नहीं हैं लेकिन चिंता व्यक्त की कि आजादी के लगभग 70 वर्ष होने को जा रहे हैं और हम हिन्दी के मामले में आज भी वहीं है जहां पहले थे। उन्होंने हिन्दी में काम-काज को सेवाभाव से करने को कहा।

(मंत्रालय और सभी संगठन)

श्री तारेश जी ने मंत्री महोदया के अनुमोदन से जारी 04.08.2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मंत्रालय के सभी कामकाज मूलरूप से हिन्दी में होने चाहिए लेकिन देखने में आया है कि एनएमसीजी ने आदेश कराकर हिन्दी अनुभाग को अनुवाद के लिए सामग्री भेजना जारी रखा है जो कि मंत्री महोदया के आदेश की अवहेलना है। माननीय मंत्री महोदय इस पर संज्ञान लें।

(मंत्रालय/एनएमसीजी)

श्री बेगराज खटाना जी ने 20,000 रूपए तक राशि के चेक हिन्दी में जारी करने संबंधी आदेश की सराहना की। उन्होंने कानून व्यवस्था जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में काम हिन्दी में शुरू करने की पहल पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई पहल होती है तो हिन्दी को बल मिलेगा। इस पर संयुक्त सचिव (रा.भा.) ने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, फिर भी राजभाषा विभाग इन संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग के विषय में प्रयास कर रहा है।

(मंत्रालय/राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय)

अरूणाचल प्रदेश से पधारे सदस्य श्री डेमो दादा ने हिन्दी में काम किए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि अरूणाचल प्रदेश के विभागों में हिन्दी में काम होता है।

श्री विन्ध्यवासिनी कुमार जी ने कहा कि हिन्दी व्यवहार की भाषा है। इसे जीवन के व्यवहार में अपनाएं। उन्होंने कहा कि हमारे से बड़े लोग यदि हिन्दी को अपनाते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है और हम भी हिन्दी में काम-काज करते हैं। उन्होंने गंगा नदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा के किनारे इसकी महत्ता, इसे साफ-सुथरा रखने के बारे में हिन्दी में लिखे सुंदर-सुंदर बोर्ड लगाए जाने चाहिएं। इससे नदी और हिन्दी भाषा दोनों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इस कार्य की शुरूआत इलाहाबाद, काशी, हरिद्वार से करने का सुझाव दिया।

(मंत्रालय/सभी संगठन)

संयुक्त सचिव (रा.भा) ने कार्यसूची में लगी तिमाही प्रगति रिपोर्ट और खासतौर पर पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने में अभी कुछ कमी है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर भी कुल मिलाकर मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

(मंत्रालय)

वाप्कोस से उपस्थित प्रतिनिधि श्री अनुपम मिश्रा जी ने बताया कि उनके संगठन में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके यहां पत्राचार का प्रतिशत पहले की तुलना में बढ़ा है तथा फाइलों पर टिप्पणियों का प्रतिशत, निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़ गया है।

अंत में संयुक्त सचिव (प्रशासन) द्वारा अध्यक्ष और सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ सभा समाप्त हुई।

****

अनुलग्नक

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 19.10.2016 को माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	डॉ. संजीव कुमार बालियान	राज्य मंत्री - अध्यक्ष
2.	श्री नबा कुमार सरनीया सांसद (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्रीमती शांताबाई	सदस्य
4.	श्री भगवानदास पटरैया	सदस्य
5.	श्री विन्ध्यवासिनी कुमार	सदस्य
6.	श्री बेगराज खटाना	सदस्य
7.	श्री तारेश	सदस्य
8.	श्री डेमो दादा	सदस्य
9.	श्री शशि शेखर, सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.)	सदस्य
10.	श्री अखिल कुमार संयुक्त सचिव (प्रशा.) (ज.सं., न.वि. और गं.सं.)	सदस्य
11.	डॉ. बिपिन बिहारी संयुक्त सचिव (रा.भा.)	सदस्य
12.	श्री राजदेव सिंह निदेशक (एनआईएच)	सदस्य
13.	श्री हसन अब्दुल्लाह निदेशक (सीएसएमआरएस)	सदस्य
14.	श्री के.बी. विश्वास अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी	सदस्य
15.	श्री एच.एल.चौधरी सीएमडी, एनपीसीसी	सदस्य
16.	श्री देवेन्द्र प्रताप मथुरिया (सदस्य-सचिव) ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	सदस्य

17.	श्री मोती लाल, संयुक्त सचिव सीडब्ल्यूसी	प्रतिनिधि
18.	श्री अनुपम मिश्रा कार्यकारी निदेशक (वाप्कोस)	प्रतिनिधि
19.	श्री नेमी चन्द्र जैन निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा प्रभारी एनडब्ल्यूडीए	प्रतिनिधि
20.	श्री एन. रॉय, उप सचिव (एनएमसीजी)	प्रतिनिधि
21.	श्री के.एम.एम. अलिमाल्मिगोती आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी	सदस्य-सचिव
22.	उपनिदेशक (रा.भा.)	
23.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	